N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0197 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/09/2024 18:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 18/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 18:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/09/2024 18:48:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GRAM PEEPALYA DIST.DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMSWROOP MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMPHOOL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SINDOLI, RAMGARH PACHWARA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SINDOLI, RAMGARH PACHWARA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEEPAK SHARMA		पिता:BHAGIRATH SHARMA	1. GRAM AND POST BAPUGAON,KOT KHAWDA,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	KRISHNAWATER SHARMA		पिता:GRIRAJ PRASAD SHARMA	1. C-47,MARUTI COLONY,DAUSA,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 7,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 17.06.2024 को समय करीब 06.00 पीएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप मीना पुत्र श्री रामफूल मीना उम्र 48 साल जाति मीना निवासी ग्राम सिन्दोली, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरी ग्राम प्रहलादपुरा, ग्राम पचायंत पीपल्या चैनपुरा तहसील लवाण जिला दौसा में करीब एक बीघा जमीन है, जिसके सीमाज्ञान के लिए मैने एसडीएम साहब लवाण से आदेश जारी करवा लिये है। मै मेरी उक्त जमीन के सीमाज्ञान के लिए पटवारी पटवार हल्का पीपल्या श्री दीपक शर्मा से मिला तो वह मेरी जमीन के सीमाज्ञान हेतु नापने के लिए स्वंय व श्री कृष्णावतार पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा के मार्फत 7,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज काम के लिए उनको रिश्वत नही देना चाहता हू और उनको रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हू । मेरी उन दोनों से कोई रजिंश व दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकि नही है। तत्पश्चात परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी ने स्वंय कम पढा लिखा होना, लिखना नही जानना केवल हस्ताक्षर करना ही जानना बताते हुये उक्त प्रार्थना पत्र टाईप वाले से बोल-बोल कर टाईप करवाकर लाना व अपने खसरा नम्बर 432 के सीमाज्ञान के आदेश एसडीएम लवाण से करवाना तथा प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर परिवादी को विभागीय निर्देशानुसार गोपनीय मांग सत्यापन करवाने के बारे में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज तो संदिग्ध आरोपीगण के कार्यालय का समय हो गया है एंव कल मै सुबह आपके कार्यालय में उपस्थित होकर गोपनीय मांग सत्यापन करवा दूंगा, लेकिन मांग सत्यापन मे मै मेरे मिलने वाले श्री रामफूल को भी लेकर जाऊगां क्योकि संदिग्ध आरोपीगण पटवारी उसके सामने मेरे से खुलकर वार्ता कर लेते है। इसके बाद परिवादी को दिनांक 18.06.2024 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने एंव गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.06.2024 को समय करीब 09.20 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामस्वरूप मीना कार्यालय में उपस्थित आया जिसका परिचय श्री मुकेशचन्द कानि0 101 से करवाया जाकर मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैक सोनी निकालकर व उसमें एसडी कार्ड 32 जीबी लगाकर परिवादी श्री रामस्वरूप मीना को उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर, वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर एंव एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को टेप करने की समझाईश की जाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से श्री मुकेशचन्द कानि0 101 को पटवार घर लवाण जिला दौसा के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 06.04 पीएम पर श्री मुकेशचन्द कानि0 101 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री कृष्णावतार पटवारी ने पीपल्या में श्री दीपक शर्मा पटवारी की मौजुदगी में परिवादी के सीमाज्ञान हेतु जमीन नापने के लिए स्वंय के लिए 2000 हजार रूपये, श्री दीपक शर्मा पटवारी के लिए 2000 हजार रूपये एंव जैरी पकडने के लिए दो लाये जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2000 हजार रूपये कुल 6000 रूपये रिश्वत की मांग की है एंव लवाण में श्री दीपक शर्मा पटवारी द्वारा अपने किराये के कमरे पर परिवादी के सीमाज्ञान हेतु जमीन नापने के लिए स्वंय के लिए 3,000 रूपये, श्री कृष्णावतार पटवारी के लिए 3,000 रूपये व जरी पकडने वाले व्यक्ति के लिए 1,000 रूपये कुल 7,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मांग सत्यापन के दौरान 3,000 रूपये परिवादी से पूर्व में ही प्राप्त करने के लिए सहमत होकर अपनी मांग अनुसार शेष 4,000 रूपये रिश्वत राशि लेने व जमीन नापने के लिए दिनांक 20.06.2024 सुबह के लिए कहा है। इस पर परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने कानि0 द्वारा बताई गई बाते ही बताई गई। इसके बाद परिवादी ने मुझे कहा कि मेरे घर पर काम है और मै आपके पास दिनांक 19.06.2024 को दोपहर बाद कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगां । इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस का राजकार्य से जयपुर होने पर श्री मुकेशचन्द कानि0 101 को परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त करने व परिवादी को दिनांक 19.06.2024 को बाद दोपहर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर उसके निवास स्थान के लिए रवाना करने व स्वंय मय डिजिटल टेपरिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित होने व डिजिटल टेपरिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित होने तक अपने पास ही

सुरक्षित रखने की मुनासिब हिदायत दी गई। समय करीब 07.00 पीएम पर श्री मुकेशचन्द कानि0 101 बाद मांग सत्यापन मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर अपनी वार्ता में जरिये दूरभाष हुई वार्ता की ताईद कर मांग सत्यापन के बारे में बताया गया। इसके बाद कानि0 मुकेशचन्द द्वारा पेश डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर सुना गया तो उसमें आई वार्ता से दोनों आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना एंव परिवादी द्वारा श्री मुकेशचन्द कानि0 व मुझे जरिये दूरभाष बताई गई बातों की ताईद होना स्पष्ट रूप से पाया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षा की दृष्टि से लॉक किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 19.06.2024 को समय 05.00 पीएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामस्वरूप मीना कार्यालय में उपस्थित आया, जिसको दिनांक 18.06.2024 को हुये मांग सत्यापन के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैं और आपका कानि. श्री मुकेशचन्द आपके कार्यालय से रवाना होकर लवाण संदिग्ध आरोपी पटवारीगण के किराये के कमरे पर गये तो हमें दोनों पटवारीगण उपस्थित नही मिले। इस पर मैने उनका पता किया तो ग्राम पीपल्या में जमीन नापने के लिए जाना बताया। इसके बाद हम दोनों वहा से रवाना होकर ग्राम पीपल्या गये तो वहा पर मुझे श्री रामफूल भी मिल गया। इसके बाद हम तीनों दोनों पटवारीगण श्री दीपक शर्मा व कृष्णावतार के पास गये तो आपका कानि0 तो बाहर ही रूक गया और मै डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर रामफूल के साथ उनके पास गया और मेरी जमीन नापने के कार्य बाबत बात की तो श्री दीपक शर्मा पटवारी के सामने ही श्री कृष्णावतार पटवारी ने मेंरे से 2000 रूपये स्वंय के लिए एंव 2000 रूपये श्री दीपक शर्मा पटवारी के लिए एंव 2000 रूपये जैरी पकडने के लिए लाये जाने वाले दो अन्य व्यक्तियों के लिए रिश्वत की मांग की। इसके बाद मै और रामफूल वहा से रवाना होकर बाहर आये। इसके बाद मै श्री मुकेशचन्द कानि0 के पास गया और उनको डिजिटल टेपरिकॉर्डर सुपूर्द किया, जिसको उन्होने बन्द कर अपने पास रखा। इसके बाद श्री दीपक शर्मा पटवारी वहा से रवाना होकर लवाण आया तो हम तीनों वहा से रवाना होकर उनके पास उनके किराये के कमरे लवाण जिस पर वह बैठकर कार्य करता है, उस पर आये तो श्री मुकेशचन्द कानि0 तो उस कमरे के बाहर ही रूक गया और मै डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर रामफूल के साथ श्री दीपक शर्मा पटवारी के पास गया और मेरे कार्य बाबत बात की तो उसने मेरे से मेरी जमीन नापने के लिए स्वंय के लिए 3,000 रूपये, श्री कृष्णावतार पटवारी के लिए 3,000 रूपये व जरी पकडने वाले व्यक्ति के लिए 1,000 रूपये कुल 7,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मांग सत्यापन के दौरान 3,000 रूपये मेरे से पूर्व में ही प्राप्त करने के लिए सहमत होकर अपनी मांग अनुसार शेष 4,000 रूपये रिश्वत राशि लेने व जमीन नापने के लिए मुझे दिनांक 20.06.2024 को सुबह के लिए कहा। इसके बाद हम दोनों वहा से बाहर निकलकर आये तो श्री रामफूल पानी पीने लग गया और मै श्री मुकेशचन्द कानि0 के पास आया उनको डिजिटल टेपरिकॉर्डर सुपुर्द्व किया तो उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। तत्पश्चात मैने उनसे हुई ये सभी बाते उनको बताई। मैने रामफूल, मेरे व आरोपीगण के मध्य हुई सभी बातों को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद रामफूल तो अपने घर चला गया तथा मैने और आपके कानि0 मुकेशचन्द ने आपसे जरिये दूरभाष वार्ता कर ये बाते बताई। इसके बाद मै अपने घर चला गया तथा मुकेशचन्द कानि0 आपके कार्यालय के लिए रवाना हो गया था। परिवादी की बातों की ताईद श्री मुकेशचन्द कानि0 द्वारा बताई गई बातों व डिजिटल वाईस रिकॉर्ड में आई वार्ता से भी होती है। इसके बाद समय 05.10 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री गजेन्द्र कुमार मीना सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी एंव श्री गजेन्द्र सिंह राठौड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) नगर परिषद दौसा से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया तो समय करीब 05.30 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी श्री रामस्वरूप मीना से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 17.06.2024 को पेश किये गये टाईप शुदा प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने स्वंय को कम पढा लिखा होना केवल हस्ताक्षर करना ही जानना व उक्त प्रार्थना पत्र बोल बोल कर टाईप वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपीगण श्री दीपक शर्मा पटवारी, पटवार हल्का पीपल्या व श्री कृष्णावतार पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा जिला दौसा के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 18.06.2024 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपीगण श्री दीपक शर्मा पटवारी, पटवार हल्का पीपल्या, श्री कृष्णावतार पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा जिला दौसा व अपने मिलने वाले श्री

रामफूल की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री रामस्वरूप मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु पॉच डीवीडी खाली मगंवाई जाकर पॉचों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी-बारी पॉच डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पाचों डीवीडी पर मार्क- A-1,A-2,A-3, A-4,A-5 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री रामस्वरूप मीना के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क A-1,A-2,A-3, A-4 को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित प्रत्येक डीवीडी को अलग-अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1,A-2,A-3,A-4 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 116 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा डीवीडी मार्क A-5 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव परिवादी श्री रामस्वरूप मीना को गोपनीयता बनाये रखने व परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि अपने साथ लेकर दिनांक 20.06.2024 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 20.06.2024 समय 06.00 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री रामस्वरूप मीना कार्यालय में उपस्थित आया, जिसको संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि बाबत पूछा गया तो अपने पास होना बताया। तत्पश्चात परिवादी के कुछ समय बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री गजेन्द्र कुमार मीना सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी व श्री गजेन्द्र सिंह राठौड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) नगर परिषद दौसा भी कार्यालय में उपस्थित आये। जिनके समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामस्वरूप मीना को संदिग्ध आरोपीगण श्री दीपक शर्मा पटवारी, पटवार हल्का पीपल्या व श्री कृष्णावतार पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा, तहसील लवाण जिला दौसा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4000/-रू0 निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटो के नम्बरों की लिखापढी फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट में की जाकर नोटों पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 4,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामस्वरूप मीना की जामा तलाशी गवाह श्री गजेन्द्र कुमार मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 4,000/-रू. के नोट श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से परिवादी के पहने हुये कमीज की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब समय 07.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री रामस्वरूप मीना व स्टाफ

सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री दौलतराम हैड कानि0 101, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही परिवादी की जमीन ग्राम प्रहलादपुरा बस स्टेण्ड के लिए रवाना होकर समय करीब 08.00 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा ग्राम प्रहलादपुरा बस स्टेण्ड के नजदीक पहुँचा, जहां पर वाहनों को बस स्टेण्ड के ईधर उधर साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को उसकी जमीन के लिए संदिग्ध आरोपीगण के आने पर वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी की जमीन व बस स्टेण्ड के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम.तक संदिग्ध आरोपीगण परिवादी की जमीन के सीमाज्ञान हेतु जमीन को नापने के लिए नही आने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी को अपने पास बुलाकर संदिग्ध आरोपीगण के काफी समय पश्चात भी जमीन नापने के लिए नही आने पर उनके बारे में जानकारी करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने कहा कि साहब बार-बार फोन करने पर वो शक करते है मै मेरे मिलने वाले को तहसील कार्यालय लवाण भिजवाकर जानकारी प्राप्त करता हू। इस पर परिवादी की सूचना प्राप्त होने व संदिग्ध आरोपीगण के आने का वापिस ईन्तजार करने लगे। समय 03.00 पी.एम.पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामस्वरूप मीना ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष आकर बताया कि साहब मैने मेरे मिलने वाले को तहसील लवाण में भिजवाकर संदिग्ध आरोपीगण का पता करवाया गया तो तहसील स्टाफ ने बताया कि मुख्यालय से ढिगारिया ग्राम में पत्थर गढी के आदेश प्राप्त हुये है वो वहा गये है दो तीन दिन वहा पत्थर गढी का काम करेगें इसलिए अब वह मेरी जमीन के सीमाज्ञान हेतु नापने के लिए शायद दो तीन दिन नही आये। इस पर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपीगण अन्य राजकार्य में व्यस्त होने व दो तीन दिन परिवादी की जमीन नापने नही आने के कारण ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने पर ट्रेप बाक्स से श्री लोकेश कुमार कानि0 155 से एक खाकी खाली लिफाफा निकलवाकर परिवादी से संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 4,000 रूपये उस लिफाफे में रखवाकर राशि लिफाफे सहित श्री लोकेश कुमार कानि0 के पास सुरक्षित रखवाई जाकर परिवादी श्री रामस्वरूप मीना को संदिग्ध आरोपीगण से उसकी जमीन नापने के लिए सम्पर्क होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष सूचित करने व तुरन्त ही कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रवाना कर समय 03.45 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27,, श्री दौलतराम हैड कानि0 101, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहन से ग्राम प्रहलादपुरा बस स्टेण्ड से एसीबी कार्यालय दौसा के लिए रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आया। ट्रेप बाक्स को मालखाने में रखवाया गया एंव रिश्वत राशि पाऊडर युक्त 4,000 रूपये जो परिवादी से एक खाली खाकी लिफाफे में रखवाकर श्री लोकेश कुमार कानि0 155 के पास रखवाई गई थी को श्री लोकेश कुमार से श्री बनवारीलाल एचएम मालखाना के मार्फत सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद समय 05.00 पी.एम.पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री गजेन्द्र कुमार मीना सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी व श्री गजेन्द्र सिंह राठौड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) नगर परिषद दौसा को अपना मोबाईल चालू व गोपनीयता बनाये रखने एंव परिवादी से सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु बुलाने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 03.07.2024 को समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप मीना कार्यालय में उपस्थित आया एंव मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया की मै दिनांक 30.6.2024 को मेरे सीमाज्ञान के लिए पटवारीगण श्री दीपक शर्मा पटवारी व श्री कृष्णावतार पटवारी के पास तहसील लवाण में गया तो वे मुझे नही मिले। इसके बाद मै दिनांक 02.07.2024 को अपने काम से कस्बा लवाण गया तो मुझे श्री दीपक शर्मा पटवारी कस्बा लवाण में मिल गया जिसको मैने मेरी जमीन के सीमाज्ञान के लिए कहा तो उन्होने मुझे कहा कि अब सीमाज्ञान नही होगा क्योकि सीमाज्ञान का टाईम दिनांक 30.06.2024 तक ही था। इस पर मैने उनको कहा कि साहब आपने तो सीमाज्ञान करने के लिए दिनांक 20.06.2024 को पूरा विशवास दिया था लेकिन आप उस दिन भी नही आये। अब बोल रहे हो की दिनांक 30.06.2024 तक ही टाईम था। इस पर दीपक शर्मा पटवारी ने कहा कि हम मुख्यालय के आदेशानुसार पत्थर गढी के कार्य में लग गये थे। इस पर मैने उनको कहा कि आप अपनी तय शुदा अमानत ले लो लेकिन मेरा सीमाज्ञान कर दो। तब दीपक शर्मा पटवारी ने कहा कि दो तीन दिन पहले ही सीमाज्ञान के चक्कर में लालसोट एक पटवारी ट्रेप हुआ है मै आपसे कोई पैसे वैसे नही लुगॅा और सीमाज्ञान की तारीख भी चली गई है अब जब सीमाज्ञान होगे तब करेगें। मेरी पटवारी से हुई वार्ता अनुसार उनको कार्यवाही की भनक लगने तथा लालसोट में आप द्वारा तीन चार दिन पहले सीमाज्ञान के लिए पटवारी को ट्रेप किया गया था, उसके भय एंव सीमाज्ञान का समय समाप्त होने के कारण मेरे को पूरा विशवास है कि अब दीपक शर्मा पटवारी व श्री कृष्णावतार पटवारी मेरे से अपनी तय शुदा रिश्वत राशि नही लेगें। अतः आप मुझे मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये वापिस लौटाते हुये

कार्यवाही को बन्द करने का श्रम करे। तत्पश्चात समय करीब 04.05 पीएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री गजेन्द्र कुमार मीना सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी व श्री गजेन्द्र सिंह राठौड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) नगर परिषद दौसा को अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया तो दोनों गवाह कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताई गई बातों से अवगत करवाया गया। इसके बाद समय 04.20 पीएम पर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपीगण श्री दीपक शर्मा पटवारी, पटवार हल्का पीपल्या तहसील लवाण जिला दौसा व श्री कृष्णावतार पटवारी के विरूद्व परिवादी श्री रामस्वरूप मीना द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने एंव उनसे पहले लालसोट में सीमाज्ञान के लिए पटवारी को ट्रेप करने के भय एंव सीमाज्ञान की नियत तिथि समाप्त होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने पर परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने द्वारा दिनांक 20.06.2024 को आरोपीगण की मांग अनुसार पेश की गई रिश्वत राशि 4,000 रूपये वापिस लौटाने व कार्यवाही को बन्द करने बाबत एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवादी द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पेश की गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये के नोटों को बदलकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर परिवादी से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लोटाये जाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 04.30 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री रामस्वरूप मीना के समक्ष उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 18.06.2024 को परिवादी श्री रामस्वरूप, उसके मिलने वाले श्री रामफूल व संदिग्ध आरोपीगण श्री दीपक शर्मा पटवारी, पटवार हल्का पीपल्या तहसील लवाण जिला दौसा व श्री कृष्णावतार पटवारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकालकर उसे मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। जब्त शुदा एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB मार्क SD को मालखाना ईन्चार्ज श्री बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात बाद सम्पन्न कार्यवाही गवाहान व परिवादी को कार्यालय से रवाना किया गया। सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा उम्र 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम व पोस्ट बापूगांव तहसील कोट खावदा जिला जयपुर, हाल पटवारी- पटवार हल्का रजवास पीपल्या तहसील लवाण जिला दौसा व श्री कृष्णावतार शर्मा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा उम्र 28 साल जाति ब्राहम्ण निवासी सी-47 मारूति कॉलोनी, दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का खानपुरा तहसील लवाण जिला दौसा ने आपसी मिलीभगत कर अपने पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री रामस्वरूप मीना पुत्र श्री रामफूल मीना उम्र 48 साल जाति मीना निवासी ग्राम सिन्दोली, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा से उसकी ग्राम प्रहलादपुरा, ग्राम पचायंत पीपल्या चैनपुरा तहसील लवाण जिला दौसा में स्थित खसरा नम्बर 432 में करीब एक बीघा जमीन का सीमाज्ञान आदेश एसडीएम लवाण से करवाने के उपरान्त उक्त जमीन का सीमाज्ञान करने की एवज में रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दिनांक 18.06.2024 को आरोपी श्री कृष्णावतार पटवारी ने 2000 रूपये स्वंय के लिए एंव 2000 रूपये श्री दीपक शर्मा पटवारी के लिए एंव 2000 रूपये जैरी पकडने वाले व्यक्तियों के लिए रिश्वत की मांग करना तथा आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी द्वारा स्वंय के लिए 3,000 रूपये, श्री कृष्णावतार पटवारी के लिए 3,000 रूपये व जरी पकडने वाले व्यक्ति के लिए 1,000 रूपये कुल 7,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मांग सत्यापन के समय पूर्व मे परिवादी से 3,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त करने के लिए सहमत होकर अपनी मांग अनुसार शेष 4,000 रूपये रिश्वत राशि लेने व जमीन नापने के लिए परिवादी को रिश्वत राशि सहित दिनांक 20.06.2024 को बुलाना स्पष्ट रूप से पाया गया। दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) एंव 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा उम्र 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम व पोस्ट बापूगांव तहसील कोट खावदा जिला जयपुर, हाल पटवारी- पटवार हल्का रजवास पीपल्या तहसील लवाण जिला दौसा व श्री कृष्णावतार शर्मा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा उम्र 28 साल जाति ब्राहम्ण निवासी सी-47 मारूति कॉलोनी, दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का खानपुरा तहसील लवाण जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1- श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा, निवासी ग्राम व पोस्ट बापूगांव, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर एवं 2-श्री

कृष्णावतार शर्मा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, निवासी सी-47 मारूति कॉलोनी, दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा, तहसील लवाण, जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 166 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1061-64 दिनांक 10-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम सख्या-2,जयपुर। 2- पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- जिला कलक्टर, दौसा। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2024 [illegible]6

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/07/1992				
2	Male	03/06/1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)